BIHAR SHODH SAMAAGAM, VOL. 2, ISSUE 1, p.p 18-22 (2024)

महिला सशक्तिकरण मे शिक्षा : समस्याएं एंव समाधान

रामचन्द्र कुमार

प्रस्तावना

आज भारत मे ही नही वरन सम्पूर्ण जगत मे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के मार्ग मे केवल भारत की ही समस्या नहीं है वरन सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों विकसित, विकासशील व अविकसित सभी राष्ट्रों में यह से विद्यमान है । इस दुर्भाग्यपूर्ण समस्या के आयाम विभिन्न राष्ट्रों तथा समाजों मे भिन्न हो सकते है परंतु महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय की एक विश्व व्यापी मॉग है। भारतीय परिवेश के संदर्भ मे लोकतांत्रिक राष्ट्रीय जीवन मे महिलाओ की पूर्ण व समुचित भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु उनका सशक्तिकरण आवश्यक है। जरुरत है कि महिलओ को पुरुषों के समान पालन–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ, सुविधाएं, कानूनी हक, आर्थिक अधिकार आदि अवसर प्राप्त हो, इन दोनों के समाजीकरण मे दोहरे नियम को खत्म किया जाय, निर्णय लेने में इनकी भूमिका को बढ़ावा मिले, समाज की मानसिकता में बदलाव आये तब ही महिलओं का बेहतर विकास व सशक्तिकरण हो सकता है। सशक्तिकरण को सही दिशा देने पर ही महिलाएं ऐसी महान व प्रबल शक्ति का रुप धारण कर सकती है जो समाज व राष्ट्रीय विकास में अनुकूलतम योगदान कर सकती है। सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने मे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हे शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। शिक्षित समाज व विकासोन्मुख राष्ट्र के निर्माण हेतु महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा है दृ "एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आने वाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी क्योकि बालक की प्रारम्भिक पाठशाला घर है। माता ही उसकी प्रथम शिक्षिका है। ये सभी बातें तभी सम्भव होगी जब समाज के सभी वर्ग उनकी शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण का अर्थ व्यापक है जिसमें अधिकारो' और शाक्तियो' का सम्मिलित स्वरुप है। यह एक ऐसी मनः स्थिति है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलतओ और शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियो पर निर्भर करती है। उसके लिए समाज में जरुरी कानूनों, सुरक्षा प्रावधानों उनके अच्छे क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का पाया जाना जरुरी है। महिला सशक्तिकरण मुख्य रुप से नीति निर्माण एंव निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी शामिल करना है अर्थात महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न और विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वार हो, नये विकल्प तैयार हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, बैंकिग, सुविधाएं पुरुष के कार्यो मे सहभागिता कानूनी हक और अपनी प्रतिभाओं के विकास के लिए पर्याप्त रुप से अवसर प्राप्त हो।

स्त्रीत्व के निर्माण–प्रक्रिया समाज की संस्थाओ, व्यवहार, संस्कृति प्रथा, रीतियों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा महिला की अनूठी तथ्यों से स्थापित की जाती है। बालक एवं बालिका के समाजीकरण की प्रक्रिया मे भिन्नता पायी जाती है। बालक मे जहां साहसिक, बौद्धिक, वीरता, अक्रामकता, शाक्ति के प्रति तैयारी का स्वरुप अपनाया जाता है वहीं पर लड़की मे लज्जा, क्षमा, सहनशीलता, भय, विनम्रता, के प्रति समाजीकरण किया जाता है। इतना ही नही इनके रहन–सहन, इनके समाज, इनकी आशाओं मे भिन्नता देखने को मिलता है। पुरुष जहां शाक्ति को पाने का प्रयास करता है वही पर एक स्त्री सौन्दर्य को ज्यादा महत्व देती है।

भारतीय समाज भी लिंग–भेद से अछूता नही है। विवाह, दहेज प्रथा आदि ऐसे न दिखाइ देने वाले पक्ष है जिसमें लड़कियों का शोषण किया जाता है। किसी भी लिंगापराध में अथवा पति की मृत्यु की स्थिति में स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। विधवाओ का समाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक शोषण कानूनी समानताओ के बावजूद आज भी बद्स्तूर जारी है। ऐसी स्थिति में स्वयं को प्रभावित कर सकने वाली योजनाओं व नीतियों को अपने अनुरुप निर्मित करवाने के लिए महिलाओँ को सत्ता के गलियारे में अपनी पैठ बनानी होगी और ऐसी शक्ति अर्जित करनी होगी कि वे स्वयं के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर सके।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

रामचन्द्र कुमार सहायक प्राध्यापक
ट्रेरिंग कॉलेज, झरिया झारखंड

यह सच है कि वैदिक काल में महिलाओँ को सामाजिक प्रस्थिति पुरुषोँ के समकक्ष ही थी परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओँ की गरिमा में कमी आ गयी थी। प्राचीन काल में घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, शकुन्तला आदि के समान अनेक विदुषी महिलाएं भी थी। यह उस बात का प्रमाण है कि उनका पुरुषो के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शकुंतला कण्व के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी।वस्तुतः उस युग में परीवार ही स्त्रियोँ की शिक्षा का केंद्र था, जहाँ उनके पिता, पति या कुलगुरु से शिक्षा प्राप्त होती थी। वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग 200 ई0पू0 में बालिकाओँ की विवाह की आयु कम करके उनके शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थित कर दिया गया। परंतु महात्मा बुद्ध ने स्त्रियोँ को संघ में प्रवेश की आज्ञा देकर, उनकी शिक्षा का नवजीवन प्रदान किया। गौतम बुद्ध के समय में महिलाओँ के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण कुछ संतुलित हुआ, किंतु मध्यकाल में उसमे पुनः क्षरण होने लगा। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में महिलाएँ लगभग उपेक्षित रही जबकि मिशनरियोँ ने समता, स्वतंत्रता, व बंधुता के एक नये युग की शुरुआत करते हुए महिलाओँ की दशा को एक नयी दिशा देने का प्रयत्न किया। निःसंदेह 19वीँ व 20वीँ शताब्दी को भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल स्वीकार किया जा सकता है। इस समय में आयी सामाजिक जागृति ने उनके कुरीतियोँ को दूर करके सुधारों की एक श्रृंखला रुपी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। महिला कल्याण व सशक्तिकरण के प्रयत्नोँ की ओर भी उनके समाज–सुधारको का पर्याप्त ध्यान गया और उन्होने सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारोँ तथा शिक्षा के माध्यम से महिलाओँ कि प्रस्थिति में उन्नयन लाने तथा उन्हे सशक्त बनाने का अथक प्रयास किया। स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न आयोगोँ ने पुरुष व महिला के अंतर को समाप्त करने की जरुरत पर जोर दिया एवं इस कार्य में शिक्षा की सहायता लेने पर जोर दिया गया। यह आयोग इस प्रकार से है :–

- ☐ हण्टर आयोग
- ☐ सैडलर आयोग
- ☐ राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन
- ☐ वुड का घोषणा–पत्र
- ☐ राधाकृष्णन आयोग
- ☐ मुदालियर आयोग
- ☐ कोठारी आयोग
- ☐ राष्ट्रीय महिला आयोग

महिलाओँ के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने में हिंदू कोड विल, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, शारदा अधिनियम, हिंदू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भारत में महिलाओँ के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने की शीघ्र आवश्यकता है। आज के वैश्विक परिदृश्य में महिलाओँ का सशक्तिकरण एक अपरिहार्यता है एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी के द्वारा सक्रिय ढंग से लगातार प्रयास करना नितान्त आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण के आयाम

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य उन्हे नेतृत्व क्षमता, सहभागिता, निर्णय लेने में सशक्त, आर्थिक में सशक्त, शिक्षा की प्राप्ति में क्रियाशीलता लाना आदि के रुप में देखा जाता है। इतना ही नही पारिवारिक गतिविधियोँ में सहभागिता भी सम्मिलित होती है। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को इस रुप देखा जा सकता है ———

पारिवारिक सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि परिवार के अंदर सभी महिला सदस्योँ को उनके नैसर्गिक अधिकार, प्रतिष्ठापरक प्रस्थिति, आर्थिक स्वायतता तथा समतापरक निर्णयन प्रतिभागिता को न सिर्फ शुरु करना वरन उसे निरंतर जारी रखना व संरक्षित करना भी सुनिश्चित करना। महिलाओँ को सामाजिक सशक्तिकरण के रुप में समाज में परम्परागत , अंधविश्वास, शोषण, अभिवृत्ति, आर्थिक पर निर्भर रोजगार, यौन भेद–भा , नकारात्मक तथा अशिक्षा प्रवृत्ति आदि का निराकरण करना। महिलाओं से आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओ की वैयक्तिक आर्थिक स्थिति का उन्नयन करने, उन्हे धनार्जन करने, उन्हे धनार्जन करने, पर्याप्त अवसर देने तथा आर्थिक मुद्दो पर अपनी सलाह देने व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाना अपेक्षित है।शैक्षिक सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण के सभी आयामों का आधार कहा जा सकता है जिसके द्वारा महिलाओ को शिक्षित करके विभिन्न क्षेत्रो मे उन्हे क्रियाशील, विवेकशील तथा प्रभावशील बनाना सम्भव हो सकता है। राजनैतिक सशक्तिकरण मे न केवल राजनीति मे महिलाओ के प्रतिभाग को पुरुषो के समकक्ष लाना है वरन राजनैतिक शासन व्यवस्था के स्तर पर बनाए गये नीतियों व सरकारी अधिनियमों, परिनियमों व अध्यादेशों तथा निर्णयो आदि के माध्यम से महिलाओं की प्रस्थिति मे सुधार लाना

भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

भारत में महिला को दुर्गा, लक्ष्मी, व सरस्वती के रुप में निःसंदेह शक्ति, वैभव व विद्वता का प्रतीक माना जाता है द्य भारतीय चिंतन व मनन में नर व नारी को एक दूसरे का पूरक स्वीकार किये जाने की परम्परा रही है द्य एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा रहता है।

कविवर पंत ने भारतीय परम्परा में नारी के इतने रूप–देवी, माँ, सहचरि, प्राण आदि बताये है पर क्या पुरुष ने नारी के इन रुपों का सम्मान करके, उसकी शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था की है ? स्वामी विवेकानंद ने कहा है –" स्त्रियाँ को सदैव असहायता व दूसरों पर निर्भरता की शिक्षा दी गयी है द्य" यह शिक्षा देकर ही पुरुष युगों से नारी पर शासन करता आ रहा है परंतु आज नारी घर की चहारदीवारी के अंदर घुट–घुट कर जिंदगी के दिन काटने वाली, अनपढ़, घूंघट की गुड़िया नही है। आज वह शिक्षित महिला के रुप में वाह्य जगत में प्रवेश कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष से होड़ कर रही है।

प्रकृति ने नर व नारी के शारीरिक संघटन का अलग–अलग सघटन के रुप में बनाया है जहाँ पर नैसर्गिक स्वभाव व कार्यक्षेत्र एक–दूसरे से कुछ अलग–अलग हो गये है। नारी में गर्भ–धारण की प्रक्रिया को परोसा तो पुरुषो को उससे आजाद कर दिया गया। भारत में मातृत्व को स्त्रियो के लिए एक वरदान, एक गौरव व एक उपहार मानते हुए इसे नारी को परिपूर्णता प्रदान करने वाली अवस्था स्वीकार किया जाता है। परंतु आज की स्त्रियॉ महिला सशक्तिकरण को पुरुषो के विरुद्ध एक हथियार की तरह उपयोग कर रही है। अतः महिला व पुरुष के नैसार्गिक शारीरिक संघटन सम्बन्धी इस कटु तथ्य को ध्यान में रखकर ही महिला सशक्तिकरण के प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा ही लड़के व लड़कियों को देकर समाज के अनुकूल अभ्युदय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमें चिंतन–मनन करने वाली कर्तव्य व अधिकार को समझने वाली तथा देश व समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसित करने वाली विदुषी महिलाओं को तैयार करना होगा। अपने–अपने कार्यक्षेत्रो मे कुशलता पूर्वक कार्य करने में दक्ष महिलाओं तथा इन्हे अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के समुचित अवसर प्रदान करने से ही परिवार समाज व राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ उसी प्रकार से महिलाओँ का भावात्मक शोषण करना या उन्हे मानासिक तनाव से रखना या उन्हे धन कमाने का यंत्र समझना है तो ऐसे सशक्तिकरण का वास्तव में कोई औचित्य नही है। सरकार द्वारा अधिनियम बनाने अथवा कानूनी रुप से रोजगार व शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने से समाज में महिलाओ का समरुप स्तर नही हो सकता है। आवश्यकता समाज में व्याप्त परम्परागत दृष्टिकोण तथा मनोवृत्ति में बदलाव लाकर महिलाओ को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान प्रतिभाग करने के समरुप अवसर देने की है। इसमे कोई संदेह नही है कि महिलाओ की शारीरिक, बौद्धिक व सृजनात्मक योग्यताओँ का अनुकूलतम विकास व संवर्धन करके उन्हे समाज में वास्तविक रुप से सम्मानजनक व समरुप स्थिति दिलाने की दिशा में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से सकारात्मक सहयोग कर सकती है।

महिला सशक्तिकरण की समस्याएं

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति ही वह सपना है जो समाज के दशा और दिशा को स्पष्ट कर देता है। स्त्रियाँ ही वंश परम्परा के निर्वाह में मुख्य भूमिका निभाती है। फिर भी प्राचीन समय से लेकर वर्तमान के आधुनिकता की संज्ञा से उपादित समाज तक स्त्रियां उपेक्षित रही है। आधुनिकता के इस परिवेश मे स्त्रियों को एक वस्तु बना दिया है। इतना ही नही बालीवुड, हालीवुड, टालीवुड, कोलीवुड, भोजीवुड, आदि फिल्मो में महिलाओं को ज्यादा अंग प्रदर्शन के रुप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि "जो दिखता है वही विकता है।" के मानक पर चलचित्रों में स्त्रियों को प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं के साथ भेद–भाव की स्थिति अभी सबसे ज्यादा परिवार में देखी जा सकती है। महिलाएं समाज के भय से, शिक्षा के अभाव में, असुरक्षा के भय से, समाज समुचित सहयोग न मिलने के कारण पारिवारिक हिंसा का शिकार होती है। महिलाओ के खिलाफ हिंसा के मामले सभी धर्मों, संस्कृतियों और आम–समूहों से संबद्ध समुदाय पाये जाते है। लिंग– भेद के प्रचलन से मानव अधिकारो की श्रृंखला में समानता के अधिकार पर कुठाराघात महिलाओ को अनेक मानव अधिकारो से वंचित कर रहा है।

भारतीय समाज भी लिंग– भेद से अछूता नही है। समाज मे लिंग– भेद सूक्ष्मतम स्वररुपों तक विद्यमान है। इतना ही नही समाज मे ऐसे बहुत से रीति–रिवाज, परम्परा आदि विद्यमान है जिससे स्त्रियों की परिस्थितियों को हीन–भावना मे पहुँचाने वाली है। जैसै– शिक्षा मे विभेदीकरण, विधवाओ की स्थिति,

रामचन्द्र कुमार सहायक प्राध्यापक
ट्रेरिंग कॉलेज, झरिया झारखंड

बिना व्याह के माँ बनने वाली, तलाकशुदा महिलाओ की स्थिति, बलत्कारी स्त्री, रखैल, वेश्यावृत्ति आदि के कारण आज भी महिलाओ की स्थिति बदस्तूर के रुप मे जारी है।

विकास के इस युग में अभी भी अशिक्षा, अंधविश्वासों, कुरीतियो की खायी को पार करना बाकी है। यही नही शिक्षा के मामले में लड़कियों के साथ भेद–भाव , बाल–विवाह, सती–प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, डायन प्रथा एवं बलत्कार जैसे समस्याएं चिंता जनक के रुप में देखी जा सकती है। महिला सशक्तिकरण की बाधा सबसे बडी बाधा समस्या शिक्षा का अभाव व कन्या भ्रूण हत्या के रुप में देखा जा सकता है। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि वास्तविक समस्या आर्थिक है। बिना आर्थिक की पहल किये बिना सशक्तिकरण नही हो सकता है। एक सबसे बड़ी अगर पहल करने की है तो वह मानसिक सोच में परिवर्तन किये बिना सम्भव नही है। महिलओं के सशक्तिकरण में राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक कारण के रुप में देखा जा सकता है। जो इस प्रकार से है :

☐ आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव
☐ स्त्री– शक्ति में संगठन का अभाव
☐ महिला नेतृत्व के संदर्भ में विभिन्न सम्प्रदायों के आपसी मतभेद
☐ घर की चहारदीवारी से बाहर निकलने में संकोच जनित गतिशीलता का अभाव
☐ प्रजनन–कार्य व शिशु पालन–पोषण का एकांगी दायित्व
☐ राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण के कारण निष्क्रियता
☐ दहेज प्रथा
☐ कन्या भ्रूण हत्या
☐ बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था का अभाव
☐ विभिन्न धर्मों की स्त्रियों में मानसिकताकता में विभिन्नता
☐ कार्यस्थल पर यौन शोषण
☐ लैंगिक विभिन्नता का पाया जाना
☐ कार्य में असमान सहभागिता
☐ सामाजिक व राजनैतिक असमानता
☐ विधवावों, वेश्याओं, तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति, बाँझ महिला, रखैल आदि से नामित औरतों का अस्तित्व
☐ अश्लीलता का परोसा जाना
☐ दो स्त्रियों में आपसी भेद–भाव पूर्ण व्यवहार
☐ महिला शिक्षालय का समुचित जगह पर न पाया जाना
☐ समाज की रुढ़िवादिता, अंधविश्वास का पाया जाना
☐ समन्वयात्मक दृष्टिकोण का अभाव
☐ महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति
☐ परिवार में उपेक्षा की स्थिति
☐ शैक्षिक अवसर की असमानता
☐ नशाखोरी की प्रवृत्ति

उपर्युक्त महिला के सशक्तिकरण की समस्या के रुप में या सशक्तिकरण के बाधा के रुप में देखा जा सकता है। अब अगर गौर किया जाय तो सबसे बड़ी बाधा शिक्षा का अभाव या शिक्षा की समुचित व्यवस्था का न होना माना जा सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि शिक्षा की प्राप्ति से विचारों में परिवर्तन हो सकता है और यदि विचार परिवर्तन हो गये तो निश्चित रुप से सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है अर्थात जब तक हम अपने समाज की महिला को शिक्षा नही देंगे तब तक महिला सशक्तिकरण भी नही हो सकता है। एक दूसरी बात यह भी है कि समाज के दो महिलाएं जो एक अर्थिक रुप से दृढ़ हो तथा दूसरी भिखारिन या निम्न स्तर वाली हो तो, आपस में विचार एक जैसा नही पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दो आपसी महिलाओं के विचार प्रायः नकारात्मक (विरोधाभास) के रुप में पाया जाता है

महिला सशक्तिकरण के उपाय––

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता व इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने में शिक्षा की महत्व पूर्ण भूमिका होगी। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हे शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। स्त्री समाज का आधार है, उसे शिक्षित करना सम्पूर्ण समाज को शिक्षित करना है। नेपोलियन ने कहा था दृ " मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मै एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा" निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है जिससे महिला सशक्तिकरण को शक्ति प्रदान किया जा सकता है। शिक्षित होकर महिलाए अपने अधिकारो को जान सकती है और इसके आधार पर महिला सशक्तिकरण को सहारा मिल सकता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि एक अस्त्र से युद्ध को जीता नही जा सकता है, तो जरुरी है कि जो भी अस्त्र हो उन सभी का विकास किया जाय तो निश्चित रुप से महिला सशक्तिकरण को अत्यधिक बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए महिला साक्षरता बृद्धि, लड़कियों की शिक्षा का सार्वजनीकरण व शालात्याग पर अंकुश तथा कन्या शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बडी बात आर्थिक की है जब तक महिलाओ को

आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नही होगी तब तक महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। आर्थिक किसी भी कार्य की धूरी है मार्शल ने भी कहा था कि "दुनिया की प्रत्येक वस्तु मुद्रा के चारो तरफ घूमती रहती है।" आज के समाज पर दृष्टि पात किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि पैसा ही मान, सम्मान,प्यार, बड़ा भाव,आदि सब कुछ है। आज भी महिलाओ में आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव है। आर्थिक समस्या जो निर्धन परिवारो व गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की लड़िकयों की शिक्षा में बाधक है। ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे अभिभावकों पर से शिक्षा का बोझ पूरी तरह से खत्म करना आवश्यक है। कोशिश ऐसी भी होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन योजनाओ का लाभ उन तक पहुँचे जिससे वे लड़कियों की मजदूरी पर भेजने के लिए विवष ना हो। तीसरी बात सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रतिबंद्ध लगाना चाहिए। समाज में व्याप्त कुप्रथाएं पूर्णतय प्रतिबंधित होनी चाहिए जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि ।

महिला सशक्तिकरण में भारत सरकार द्वारा प्रावधान

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
- दहेज रोक अधिनियम 1961
- एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
- मेडिकल टर्म्लेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1894
- लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
- वाल–विवाह रोक थाम एक्ट
- 2006कार्य स्थल पर महिलाओं का शोषण एक्ट

उपर्युक्त आदि अधिनियम एक्ट के आधार पर महिला सश्क्तिकरण मे सहायक हुआ है। इतना ही नही भरतीय आर्थिक, समाजिक, रजनैतिक, शैक्षिक सेवाओं में पदो को दिलाकर सरकार ने महिला सश्क्तिकरण को मजबूती प्रदान किया है । श्रीमती सरोजनी नायडू ने गवर्नर के रुप में ,श्रीमती सवित्रि बाई फूले पहली महिला शिक्षक के रुप में , श्रीमती इंदिरा गाँधी को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रुप मे ,किरंनबेदी प्रथम आई0पी0एस0 के रुप , श्रीमती प्रतिभा पाटिल को रष्ट्रपति के रुप में, वर्तमान में श्रीमती सुमित्रा महाजन को लोकसभा अध्यक्ष के रुप में आदि विभिन्न पदो को देकर महिला सशक्तिकरण में सहायक हुए है। इसके साथ–साथ राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करके आचार्य विनोवाभावे, स्वामी विवेकानन्द , महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले आदि ने समाज सुधारक के रुप में महिला सश्क्तिकरण को प्रभावित किया भारत में विधवावों की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लगातार प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 की शुरुआत की

निष्कर्ष :–

इतने प्रयत्नो के बाद भी आज भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कन्या भ्रूण हत्या निरंतर बढ़ रही है। कन्या शिशु हत्या , दहेज उत्पीड़न , महिला निरक्षरता, महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति ,यौन उत्पीड़न, परिवार में उपेक्षा , रोजगार के अवसरो की कमी सामाजिक एवं रजनैतिक क्रिया–कलापो में सक्रिय भागीदारी की कमी आदि के कराण महिलाओं की स्थिति अभी भी दुर्भाग्य पूर्ण ढंग से अस्त–व्यस्त है। इतना ही नही बिधवावो, वेश्याओं, तलाशुदा महिलाओं, बाँझ महिलाओ, रखैल आदि नामित स्त्रियों की दशा अत्यंत सोचनीय है इसके साथ हमारी मानसिकता अभी भी पक्षपातपूर्ण है। आखिर महिलाओ को समानता का दर्जा देने में झिझक क्यो है ? भारत में महिलाएं आज भी कई तरह के लिंग आधारित भेद– भाव का सामना करती हैं। महिलाओ के आर्थिक, सामाजिक, सशक्तिरण मामले में भारत एशिया प्रधान क्षेत्र के 16 देशो में सबसे निचले पायदान पर हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि जब तक महिलाए आर्थिक स्तर से सशक्त नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण सम्भव नही है और यह तभी सफल होगा जब वे शिक्षित हो जायें।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1 पाठक, पी0 डी0 : भारतीय शिक्षा एवं उनकी समस्याएं, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर

2 पाठक, सुमेधा (2012) : स्त्री शिक्षा, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशंस

3 प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका

4 सक्सेना, एन0आर0 स्वरुप एवं चतुर्वेदी, शिखाः उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, मेरठ, आर0 लाल0 बुक डिपो

5 सरोज मेहता, महिला एंव बाल विकास की गाथा

6. सरोजनी उमायर, महिला की सहभागिता के आयाम

7. रूपम गांगुली, वुमेन न्यू चांलेज

8. दीपक कुमार सिंह, महिला और राजनीति सहभागिता